न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित–राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1683 / 2026, 2467 / 2026, 2630 / 2026 एवं 2751 / 2026

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2340 / 2026

1. अलिम अख्तर, पिता–स्व0 अब्दुल कयुम,

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2467 / 2026

2. सुल्तान आरिफ उर्फ टिंकु, पिता–मो0 मुस्तफा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2630 / 2026

3. तबरेज आलम उर्फ नजर, पिता–मो0 एजाज कबीर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2751 / 2026

4. मो0 साहिल, पिता–अजहर खान

.....आवेदकगण

बनाम

बिहार राज्य

आदेश

14.07.2026 ऊपर वर्णित आवेदकगण की ओर से फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–827 / 2026 अंतर्गत धारा 308(3), 308(4), 303(2), 324(4), 329(3), 111(3), 352, 352, 351(2), 351(3), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के कारण उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन उपरोक्त पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण, विद्वान अपर लोक अभियोजक के साथ सूचक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत अभिलेख आज आदेश हेतु नियत किया गया है।

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप यह है कि सूचक का पुस्तैनी मकान, दुकान, जमीन कर्बला मस्जिद के सामने फुलवारीशरीफ में है। उक्त जमीन पर पिछले डेढ़ वर्ष से समुदाय विशेष का भू–माफिया एवं संगठित अपराधियों द्वारा उसे एवं उस के परिवार को गोली, पिस्तौल के बल पर जान मरने की धमकी देकर षड्यंत्र करके, रंगदारी पूर्वक घर जमीन छोड़कर भागने की धमकी दिया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 1481 / 2024, 1752 / 2024, 360 / 2025 दर्ज कराया गया था, जिसका अनुसंधान लंबित है। सूचक का आगे आरोप है कि दिनांक 27.04.2026 को तबरेज आलम उर्फ नजर, अलमी अख्तर, मो0 साहिल, टननु उर्फ आबिद, टिंकु उर्फ सुल्तान सभी पिस्तौल एवं हरवे हथियार लेकर उसके चहारदीवारी पर कई जगह तोड़ दिये

तथा शटर को तोड़कर बिजली का सामान, निर्माण समाग्री चोरी कर लिए। उक्त व्यक्तियों एवं 30–40 अन्य लोग हथियार के बल पर भय पैदा कर रहे हैं तथा उसे एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि0मिस0 संख्या 41701/2025 में अलिम अख्तर एवं अन्य को दिनांक 21.01.2026 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि अलिम अख्तर एवं उसका आदमी केस के अंतिम निर्णय होने तक जमीन पर नहीं जायेंगे और न व्यवधान करेंगे, परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। आगे आरोप लगाया गया है कि तबरेज आलम, अलिम अख्तर, मो0 साहिल, टन्नु उर्फ आबिद, टिंकु उर्फ सुल्तान एवं अन्य 30–40 अपराधकर्मी भीड़ लगाकर षड्यंत्र करके उन लोगों की हत्या कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्ति को गोली मारकर उन लोगों को झूठा केस में फंसा सकते हैं। इनके कृत को सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है।

आवेदकगण 1.अलिम अख्तर, 2.तबरेज आलम उर्फ नजर एवं 3.मो0 साहिल के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनके तरफ से पूर्व में कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत हेतु आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक अलिम अख्तर के विरूद्ध फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या–1481/2024, 1752/2024 एवं 360/2025 दर्ज है, जो वर्तमान सूचक के द्वारा दर्ज कराया गया है। आवेदक तबरेज आलम उर्फ नजर के विरूद्ध फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 515/2024, 685/2021, 1481/2024, 1752/2024, 360/2025 तथा आवेदक मो0 साहिल के विरूद्ध फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 862/2024, 533/2019, 360/2025 दर्ज है। उनका आगे कथन है कि सूचक एवं उसका भाई धर्मेन्द्र नारायण शर्मा पेशे से अधिवक्ता हैं और मुकदमेबाज हैं। उन्होंने आवदकों को वर्तमान मामले झूठा फंसाया है। सूचक और उसके भाई धर्मेन्द्र नारायण शर्मा और आवेदकगणों के बीच कुल 10 दीवानी एवं आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं। उक्त सभी मामलों में आवेदकगण या तो वादी हैं या अभियुक्त हैं। उनका आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाए सभी आरोप दीवानी प्रकृति के हैं, लेकिन सूचक एवं उसके भाई ने अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए आपराधिक रंग दिया

गया है। आवेदकगण ने सूचक और उसके भाई के विरूद्ध स्वत्व वाद संख्या 501 / 2024, 518 / 2024, 64 / 2025 एव 365 / 2025 दायर किया है और उन्हें उक्त मुकदमों में प्रतिवादी बनाया है और इन सभी वादों में आवेदकगण ने निषेधाज्ञा याचिका दायर की है। स्वत्व वाद संख्या 64 / 2025 में विद्वान सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी–14, पटना के द्वारा दिनांक 12.09.2025 को ''यथास्थिति'' का आदेश पारित किया गया है। इसी तरह स्वत्व वाद संख्या 501 / 2024 में सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी, पटना के द्वारा दिनांक 15.09.2025 को ''यथास्थिति'' का आदेश पारित किया गया है। उनका आगे कथन है कि स्वत्व वाद संख्या 501 / 2024 के लंबित रहने के दौरान सूचक एवं उसके भाई ने विवादित भूमि पर अवैध निर्माण किया है, जिसके लिए आवेदकगण ने सर्वे एडवोकेट कमीश्नर नियुक्त करने के लिए दिनांक 03.02.2026 को आवेदन दिया है, जिसमें सूचक और उनके भाई ने जवाब दाखिल कर दिया है। उनका आगे कथन है कि सूचक द्वारा दिनांक 28.04.2026 को एक हस्तलिखित आवेदन पुलिस को दी थी, जिसकी सत्यता की जांच की गई थी एवं उसी दिन एक और टंकित आवेदन दिया गया, उक्त दोनों आवेदनों में घटना के बारे में मतभेद है। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 308(4), 303(2), 111(3) को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा सभी आरोप अस्पष्ट और भ्रामक हैं। आवेदकगण समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं तथा उनके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदकगण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 की शर्तों का पालन करने तथा न्यायालय की आदेशानुसार बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

आवेदक सुल्तान आरिफ उर्फ टिंकु के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उसकी ओर से अग्रिम या नियमित जमानत हेतु कोई अन्य आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कुल 10 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा सभी आरोप अस्पष्ट और व्यापक हैं। आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी में अभिकथित आरोप आकर्षित नहीं होता है। आवेदक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 की शर्तों तथा न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र दाखिल

करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया है कि सूचक के दादा और उनके भाइयों ने खाता संख्या–339, प्लॉट संख्या 526 वाली भूमि को खतियानी रैयत द्वारका सिंह के पुत्रों से 1941 में पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदा गया था, जिसका क्षेत्रफल 89 डिसिमल है। खतियान एवं बिक्रय पत्र की एक प्रति सूचक द्वारा दाखिल विरोध पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है। खतियान की छायाप्रति से यह स्पष्ट होता है कि मो0 नसीर को जमींदार के रूप में दर्शाया गया है, जिसके केवल रैयत से किराया वसूलने का अधिकार है। 1955–56 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद सूचक के दादा सूरज नारायण शर्मा और सूचक की माता विद्या देवी के नाम पर जमींदार द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर, सूचक की माता के पक्ष में एलपीसी जारी की गई है, जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। उनका आगे कथन है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सूचक के दादा को 1966 में खाता संख्या 339 प्लॉट संख्या 526 जमीन अधिग्रहण का मुआबजा भी दिया गया है। आवेदकगण फर्जी एवं मनगढ़न्त दस्तावेजों के आधार पर, एक गिरोह और भूमि माफिया की मदद से सूचक के घर और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 41701 / 2025, अलिम अख्तर एवं अन्य, में दिनांक 21.01.2026 को पारित आदेश में निर्देश दिया गया है कि अलिम अख्तर एवं उसका आदमी केस के अंतिम निर्णय होने तक जमीन पर नहीं जायेंगे और न व्यवधान करेंगे, परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश का अवहेलना किया जा रहा है।

दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख, उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी अनुसार आवेदकगण पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, एक गिरोह और भू–माफिया की मदद से सूचक के घर और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप है, जिसका समर्थन अनुसंधान के दौरान सूचक द्वारा पुनःबयान में किया गया है, जो कांड दैनिकी की कंडिका 5 में उल्लिखित है। कंडिका 9 में साक्षी ने अपने

बयान में घटना का समर्थन किया गया है। कंडिका 11 में यह तथ्य आया है कि तथाकथित जमीन पर आवेदकगण के द्वारा अवैध तरीके से क्रिकेट मैच करवा रहे थे, जो कांड दैनिकी में संलग्न फोटो पर दिये गये नामों से स्पष्ट है। जबकि कांड दैनिकी की कंडिका 18 से यह विदित होता है कि आवेदक अलीम अख्तर एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 1481/2024 में अग्रिम जमानत हेतु दाखिल आपराधिक विविध वाद संख्या 41701/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इस शर्त पर आवेदक को जमानत दिया गया था कि आवेदक एवं उनके व्यक्ति सिविल वाद के अंतिम निपटारे तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार आवेदकगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया गया है, जो कांड दैनिकी की कंडिका 11 से स्पष्ट है। कांड दैनिकी की कंडिका 75 के अनुसार आवेदकगण सुल्तान उर्फ टिंकु, मो0 तबरेज उर्फ नजर एवं अलीम अख्तर के विरूद्ध कई मामलों का आपराधिक इतिहास दर्ज है तथा आवेदकगण के विरूद्ध अनुसंधान जारी है। उपरोक्त तर्कों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए ऊपर वर्णित आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदनों को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
14-07-2026

निर्णय/आदेश की तिथि	14.07.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––
अपलोडिंग तिथि	15.05.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक